

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी (म0प्र0)

दूरभाष एवं फैक्स नं 07492-221012 ई मेल dfotshivp@mp.gov.in मोबाइल : 9424794737

क्रमांक/डी.एम./2018/ 2461

शिवपुरी, दिनांक/06/06/18

प्रति,

प्रबन्धक,

भारती एयरटेल लिमिटेड

स्कीम नम्बर 51ए.बी.रोड. मेट्रो टावर

विजयनगर इंदौर लिमिटेड भोपाल

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त PROPOSAL No FP /MP /Other /32738 /2015 कोलारस-रन्नोद ओ.एफ.सी.लाईन लम्बाई 2 कि.मी.(0.100हैक्टर) की अनुमति प्रदान करने वावत।
संदर्भ - आपका ऑन लाइन आवेदन दिनांक 26.03.18

—00—

विषयांकित प्रकरण में लेख है कि उक्त आप्टीकल फाइबर लाईन निम्न कक्ष क्रमांकों से होकर गुजर रही है जिसमें कक्ष क्रमांक आर 244 एवं आर 245 का भाग प्रभावित होगा जिसकी कुल लम्बाई 2274 मीटर एवं चौड़ाई 0.30 मीटर कुल रकवा 0.06822 हैक्टर में बिना वृक्षों को काटते हुए । वनक्षेत्र के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत आवेदक संस्था से प्रस्ताव वन संरक्षक वृत्त शिवपुरी के ज्ञापन क्रमांक /डी.एम./ 1685 दिनांक 16.04.07 से प्राप्त प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत म.प्र.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ -5/18/2002/10-3 भोपाल दिनांक 18.11.04 एवं पत्र क्रमांक 14.12.05 से दिये गये निर्देशों के तारतम्य में निम्न लिखित शर्तों के अधीन उपरोक्त वनक्षेत्र अंतर्गत बदरवास- रन्नोद - सिरसौद रोड़ तक कार्य करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नहीं होगी ।
2. वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राइट ऑफ वे के क्षेत्र के लिये दी जा रही है। यदि राइट ऑफ वे के क्षेत्र में कार्य नहीं किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
3. ऑप्टीकल फाइबर केवल लाईन विछाने हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेखित लम्बाई 2274 मीटर चौड़ाई 0.30 मीटर एवं गहराई 1.75 मीटर क्षेत्र में ही मौके पर कार्य करना होगा ।
4. प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले वृक्षों को काटा नहीं जावेगा और न ही वनक्षेत्र में खड़े वृक्षों को क्षति पहुंचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को भी काटा नहीं जावेगा ।

5. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा ।
6. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य के लिये नहीं किया जावेगा ।
7. आप्टीकल फाईबर केवल लाईन विछाने के उपरांत खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से आपके द्वारा अपने व्यय पर समतलीकरण किया जाना अनिवार्य होगा ।
8. समतलीकरण कार्य आपके द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा तथा उसके लिए मिट्टी तथा पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन कार्य नहीं किया जावेगा ।
9. यदि आपके द्वारा तथा ठेकेदार द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि / क्षति पहुंचाई जाती है तो जो वनक्षेत्र की हानि होगी वह इस कार्यालय द्वारा निर्धारित की जावेगी । जो आपके द्वारा अनिवार्य रूप से देय होगी ।
10. यदि आवेदक संस्था द्वारा उक्त कार्य के रखरखाब के लिए यदि कोई भी कार्य कराया जाता है तो बिना वनमण्डलाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं किया जावेगा ।
11. म.प्र. शासन वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रकरण में अन्य कोई शर्तें अधिरोपित की जाती हैं तो आवेदक संस्था मानने के लिए बाध्य होगी ।
12. यदि आवेदक संस्था द्वारा प्रदान की गई सशर्त स्वीकृति व वन अधिनियमों का किसी प्रकार से मौके पर उल्लंघन किया जाता है , इस कार्यालय द्वारा दी गई स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा ।
13. उपरोक्त शर्तों के पालन में आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । तदोपरांत ही कार्य प्रारम्भ कर सकेंगे ।

उपरोक्त शर्तों का पालन करने के उपरांत उक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(लवित भारती)

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल शिवपुरी(म.प्र.)

शिवपुरी, दिनांक/ 06/06/18

पृ.क्रमांक /डी.एम./2462

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/विविध/2017/10-11/3695 दिनांक 08.12.2017 एवं एफ-11/2017/10-11/2586 दिनांक 01.09.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2. मुख्य वन सरंक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल दस्तावेजों सहित सम्प्रेषित।
3. जिलाध्यक्ष, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
4. उपवनमण्डलाधिकारी करैरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी बदरवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल शिवपुरी(म.प्र.)